

उत्तर प्रदेश {सहकारी ग्राम विकास बैंक} अधिनियम, 1964

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1964}

THE UTTAR PRADESH SAHAKARI GRM VIKAS BANK ACT, 1964

[U. P. Act No. XVI of 1964]

उत्तर प्रदेश {सहकारी ग्राम विकास बैंक}⁴ अधिनियम, 1964¹

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1964}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1978

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1979, द्वारा

संशोधित

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अप्रैल, 1964 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 6 मई, 1964 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 9 जुलाई, 1964 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 20 जुलाई, 1964 ई० को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य में {सहकारी ग्राम विकास बैंकों}⁴ के कार्य—संचालन की सुकर बनाने के लिये

अधिनियम

यह इष्टकर है कि {उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक}⁵ के कार्य संचालन और प्रस्तावना राज्य में {सहकारी ग्राम विकास बैंक}⁵ के निर्माण तथा उसके कार्य—संचालन को और सुकर बनाया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम {उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक}⁴ अधिनियम, 1964 प्रसार और

कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम

आरम्भ

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति* द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

2— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :—

परिभाषाएँ

(क) “मण्डल” का तात्पर्य {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}⁴ के निदेशक मण्डल से है,

(ख) “उप—विधियों” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित को आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबंधित उप—विधियों से है और इसके अन्तर्गत उप—विधियों का कोई निबंधित संशोधन भी है,

(ग) “[सहकारी ग्राम विकास बैंक]⁴ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित को—आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबंधित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जो राज्य भूमि—विकास बैंक के सदस्य के रूप में स्वीकृत की गयी हो और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को, {सामान्यतया कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आवास या भवन निर्माण भी है}³ {अचल संपत्ति के बंधक या {चल सम्पत्ति की गिरवी पर}³ या राज्य सरकार की बिना शर्त प्रत्याभूति पर}² ऋण देना हो,

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 3 अप्रैल, 1964 ई. का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

* यह अधिनियम 15 अगस्त, 1964 से प्रवृत्त हुआ, अधिसूचना सं. 4568 सी/बारह —सी—ए—

[1150/63](#) दिनांक 13 अगस्त, 1964 देखे।

2. उ. प्र. अधिनियम संख्या 27, 1978 के धारा 2(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 वर्ष 1989 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 3 तथा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964}
3-5}

{धारा

(घ) “प्रबंध समिति” का तात्पर्य किसी {ग्राम विकास बैंक}⁴ के उस शासी निकाय से है जिसे उसके कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो,

(ङ) “अधिकारी” के अन्तर्गत सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, मण्डल या प्रबंधक समिति का सदस्य या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसे निगमों या उपविधियों के अधीन {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}³ या किसी {ग्राम विकास बैंक}⁴ के कार्य के संबंध में निदेश देने का अधिकार प्राप्त हो,

(च) “नियत” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है,

(छ) “नियमावली” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली से है,

(ज) “निबन्धक” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्सम्य प्रचलित को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के लिये सहकारी समितियों के निबन्धन के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है,

(झ) “विनियम” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन मंडल बनाये गये विनियमों से है,

(ञ) “{उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}³ या “{उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक}³ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्सम्य प्रचलित को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है, जिसका कार्य-क्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश में हो और जो किसी {ग्राम विकास बैंक}⁴ का कार्य कर रही हो और जो {उसके सदस्यों के कार्य}¹ का सुकर बनाती हो,

(ट) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ठ) “न्यासधारी” तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 4 में अभिदिष्ट न्यासधारी से है।

3— समस्त उत्तर प्रदेश के लिए एक से अधिक {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}³ नहीं बैंकों⁴ की होंगे और {ग्राम विकास बैंक}⁴ हो सकते हैं, जितने निबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जायें।

{ग्राम विकास
संख्या

4— (1) निबन्धक मंडल द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रधारियों के प्रति राज्य {ग्राम विकास बैंक}⁴ के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यासधारी होगा।
नियुक्त विकास बैंक⁴ के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यासधारी होगा।
अधिकार

न्यासधारी की
तथा उसके
और कृत्य

(2) न्यासधारी के अधिकार और कृत्य इस अधिनियम के उपबन्धों तथा {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}³ और न्यासधारी के मध्य निष्पादित न्यास-संलेख द्वारा, जैसा कि वह उनके मध्य परस्पर अनुबंध द्वारा और राज्य सरकार के अनुमोदन के समय समय पर परिष्कृत {या प्रतिस्थापित}² हो, शासित होंगे।

5— धारा 4 के अधीन नियुक्त न्यासधारी, न्यासधारी के नाम से एक एकल नियम एकल

न्यासधारी एक

होगा और उसका शास्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद चलायेगा और उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायगा।

निगम होगा

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 27, 1978 की धारा 2 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964}
6-7}

{धारा

6— [(1) राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से, और ऐसी शर्तों और निबन्धों पत्रों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, मण्डल, समय-समय पर, मूलधन का पूरा जाना प्रतिदान करने और उसके ब्याज का भुगतान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गयी बिना शर्त प्रत्याभूति पर अंशतः धृत और अंशतः अर्जित किये जाने वाले बन्धक, प्रभार या गिरवी की और ऐसे संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों की, जो धारा 12 के उपबन्धों के अधीन [ग्राम विकास बैंकों]⁸ द्वारा [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]⁷ को संक्रामित की गयी समझी गयी हो, और [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]⁷ की अन्य संपत्तियों की, प्रतिभूति पर एक या अधिक अभिधानों के ऋण-पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जिसे वह इष्टकर समझे, जारी कर सकता है :]¹ [प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऋण पत्र ऐसे निदेशों या अनुदेशों से, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक या नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा समय-समय पर जारी किया जाय, भिन्न रूप में नहीं जारी किए जायेंगे।]⁴ (2) ऐसे ऋण-पत्रों में ऐसी शर्त रखी जा सकती है, जिसमें जारी किये जाने के दिनांक से [बीस वर्ष]⁵ से अनधिक की ऐसी अवधि निश्चित की जाय जिसमें वे अविमोच्य होंगे अथवा जिनमें मण्डल के लिये यह अधिकार रक्षित रखा जाय कि वह सम्बन्धित ऋण-पत्रधारी को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी ऋण-पत्र को उनके विमोचन के लिए निश्चित दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रत्याहृत कर ले। (3) [उपधारा (1) के अधीन मण्डल द्वारा पहले से जारी किये गये ऋण पत्रों पर देय कुल धनराशि और जारी किये जाने के लिये प्रस्तावित किन्हीं ऋण-पत्रों की धनराशि कुल मिलाकर निम्नलिखित धनराशि के योग से अधिक न होगी :— (क) बन्धक या प्रभार या गिरवी पर [या राज्य सरकार द्वारा बिना शर्त प्रतिभूति के प्रति किसी ऋण अग्रिम पर]⁶ देय धनराशियां और ऐसी अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, जो धारा 12 के अधीन [ग्राम विकास बैंकों]⁸ द्वारा [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]⁷ को संक्रामित की गयी हो या संक्रामित की गयी समझी गयी हों और जो तत्समय वर्तमान हो, (ख) ऋण-पत्र मोचन-निधि में संचयन; (ग) हस्तस्त रोकड़ और बैंकों में अतिशेष और सामान्य निधियों के अधीन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, और (घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित धनराशि का ऐसा प्रतिशत, जो नियत किया जाय।]² 7— [धारा 6 के अधीन ऋण-पत्र जारी होने पर, राज्य सरकार की प्रत्याभूति अधीन संपत्ति का फायदा और उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट और मण्डल द्वारा धृत बन्धक ग्रस्त संपत्तियां जाना और और अन्य परिसंपत्तियां न्यासधारी में निहित होंगी और ऋण-पत्रधारी राज्य सरकार की प्रत्याभूति के फायदे के हकदार हों और उनका ऐसे समस्त बन्धकों और परिसंपत्तियों और ऐसी प्रत्याभूति का या बन्धकों के अधीन भुगतान की गई और [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]⁷ या न्यायासधारी के का पास शेष धनराशियों पर चल प्रभार होगा।]³ सरकार होगा	मण्डल द्वारा ऋण का जारी किया न्यासधारी में निहित किया परिसम्पत्तियों प्रभार ऋण पत्रों मूलधन और उन ब्याज राज्य द्वारा प्रत्याभूत ऋण-पत्रधारि
--	---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 27, 1978 के धारा 4 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 4 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 वर्ष 1989 की धारा 6 (क) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 6 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 6 (ग) द्वारा अन्तर्विष्ट।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964}
8-9क}

{धारा

8— (1) धारा 6 के अधीन जारी किए गए ऋण पत्रों का मूलधन तथा उनका ब्याज ऐसी मूलधन और

ऋण पत्रों का

अधिकतम धनराशि तक, जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत की सरकार

उनका ब्याज राज्य

जाय तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उसे आरोपित करना उचित समझे, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा।

द्वारा प्रत्याभूत होगा

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ा सकती है।

(3) राज्य सरकार मंडल तथा न्यासधारी से परामर्श करने के पश्चात् —

(क) सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, और

(ख) इस राज्य तथा भारत के अन्य राज्यों के ऐसे प्रमुख समाचार-पत्रों में नोटिस देकर जिन्हें इस सम्बन्ध में राज्य सरकार चुने;

एक निर्दिष्ट दिनांक से, जो सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन से छः मास से पूर्व का न हो अपने द्वारा दी गयी किसी प्रत्याभूति को समाप्त कर सकती है अथवा उसकी अधिकतम धनराशि को कम कर सकती है अथवा उस शर्तों में परिष्कार कर सकती है, जिनके अधीन वह दी गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रत्याभूति की समाप्ति, कमी अथवा परिष्कार किसी भी प्रकार से उस प्रत्याभूति पर प्रभाव न डालेगा, जो उस दिनांक के पूर्व जारी किये गये किसी ऋण-पत्र के संबंध में हो जब से ऐसे समाप्ति, कमी या परिष्कार प्रभावी हो।

(4) जब प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि कम करना हो अथवा उन शर्तों को, जिनके अधीन प्रत्याभूति दी गयी हो, परिष्कृत करना हो, तो उपधारा (3) में अभिदिष्ट प्रत्येक विज्ञप्ति और नोटिस में, यथास्थिति, ऐसी कमी अथवा परिष्कार के क्षेत्र और प्रभाव का यथार्थतः उल्लेख होगा।

9— (1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जिन्हें वह उचित समझे एक प्रत्याभूति निधि उन हानियों को पूरा करने के लिये स्थापित कर सकती है, जो नियत की गयी परिस्थितियों में {ग्राम विकास बैंकों}⁴ द्वारा बंधकों की प्रतिभूति पर दिये गये ऋण के रूप से वसूल न हो सकने के कारण उत्पन्न हों।

प्रत्याभूति निधि

(2) {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}³ तथा {ग्राम विकास बैंक}⁴ उक्त निधि में से ऐसी दरों पर अंशदान देगे जो नियत की जायें।

{(2-क) राज्य सरकार की समय-समय पर निधि में ऐसी धनराशि का अंशदान कर सकती, जिसे वह उचित समझे।}¹

(3) उक्त निधि का अनुरक्षण और उपयोग ऐसी रति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो नियत किये जायें।

{9-क— उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में किसी बात के होते हुए भी, शक्ति

धन उधार लेने की

मण्डल राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या नेशनल फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट या ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से, जैसा न्यासधारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, धन उधार ले सकता है।}²

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 वर्ष 1989 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उपर्युक्त की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964}
10-13}

{धारा

10— इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}⁶ या {ग्राम विकास बैंक}⁷ के पक्ष में निष्पादित किसी भी बन्धक {या सृजित किसी भी प्रभार}¹ को 1983

कुछ दावों पर बंधक पूर्वता ऐक्ट सं० 19

लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, 1883 के अधीन, किसी ऐसे ऋण से, जो उक्त बन्धक के निष्पादन [या प्रभार के सृजन]² के पश्चात् दिया गया हो, उत्पन्न सरकारी दावे पर प्रवृत्ता प्राप्त होगी।

11— [(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी [ग्राम अथवा विकास बैंक]⁷ या [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]⁶ के लिये अधिनियम के अधीन बेची गयी विकास

[ग्राम विकास बैंक]⁷
[उत्तर प्रदेश ग्राम

किसी सम्पत्ति का कय करना विधि पूर्ण होगा और ऐसा बैंक इस प्रकार कय की गयी सम्पत्ति ग्रस्त

बैंक]⁶ का बन्धक सम्पत्ति तय करने अधिकार 1951 ई० प्र. अधिनियम संख्या

का को ऐसी अवधि के भीतर, जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाये, विक्रय करके निस्तारण का उ.करेगा।]³

1

(2) 1950 ई० के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 में अथवा तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि में दी गयी कोई भी बात, जिसमें [कृषि जोत भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति]⁵ की अधिकतम सीमा नियत की गयी हो, [ग्राम विकास बैंकों]⁷ अथवा [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]⁶ द्वारा उपधारा (1) के अधीन भूमि के अर्जन पर प्रवृत्त न होगी।

1951 ई. का उ.प्र. अधिनियम संख्या 1

[(2-क) यदि बैंक को उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसके विक्रय होने ते पट्टे पर देना हो तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी पट्टेदार उस सम्पत्ति में कोई अन्य हित अर्जित नहीं करेगा।]⁴

12 — इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व अथवा उसके उपरान्त [ग्राम विकास के पक्ष बैंक]⁷ के सदस्यों द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित बन्धक तथा उसे संक्रमित अन्य समस्त [उत्तर

[ग्राम विकास बैंक]⁷
में निष्पादित बंधक

परिसम्पत्तियां ऐसे निष्पादन या संक्रमण के दिनांक से उक्त [ग्राम विकास बैंक]⁷ द्वारा [उत्तर बैंक]⁶ प्रदेश ग्राम विकास बैंक]⁶ को संक्रमित की गयी समझी जायेगी और राज्य [ग्राम विकास बैंक]⁵ में निहित हो जायेंगी।

प्रदेश ग्राम विकास में निहित होंगे।

13— इस बात के होते हुए भी कि किसी [ग्राम विकास बैंक]⁷ के पक्ष में निष्पादित बैंक]⁷ बन्धक [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]⁶ को संक्रमित कर दिया गया हो अथवा धारा 12 के करने

[ग्राम विकास का धन प्राप्त

उपबन्धों के अधीन संक्रमित कर दिया गया समझा गया हो—
का

तथा उन्मोचन देने अधिकार

(क) मंडल अथवा न्यासधारी द्वारा जारी किये गये तथा बंधकर्ता को संसूचित किये गये किसी प्रतिकूल विशिष्ट निदेशक के न होने पर बन्धक के अधीन देय सभी धन [ग्राम विकास बैंक]⁷ को दिया जायेगा और भुगतान उसी प्रकार वैध होगा मानो बन्धक इस प्रकार संक्रमित न किया गया हो; और

(ख) मंडल अथवा न्यासधारी द्वारा जारी किये गये तथा [ग्राम विकास बैंक]⁷ को संसूचित किये गये किसी प्रतिकूल विशिष्ट निदेश के न होने पर, [ग्राम विकास बैंक]⁷ बन्धक के आधार पर वाद चलाने या बन्धक के अधीन देय धनराशि की वसूली के लिये कोई अन्य कार्यवाही करने का हकदार होगा।

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 3 द्वारा बढ़ायी गयी।
2. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा बढ़ायी गयी।
3. उपर्युक्त की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाई गयी।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 वर्ष 1989 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964]
14—16]

[धारा

14— (1) यदि बन्धकर्ता के पूर्व ऋणों का भुगतान करने के लिये किसी [ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में कोई बन्धक निष्पादित किया गया हो तो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1982 [ग्राम विकास बैंक] के पूर्व

ऐक्ट संख्या 4,
विकास

1882 तथा तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी बैंक लिखित नोटिस का

ऋणों का बन्धकर्ता
भुगतान करने का

अधिकार देकर, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे इस प्रकार का कोई ऋण या उसका कोई अंश देय हो, ऐसी धनराशि का भुगतान बैंक के निर्बन्धित कार्यालय से ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाये, प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि कोई ऐसा व्यक्ति उक्त नोटिस लेने से इन्कार करे अथवा उक्त भुगतान न ले या भुगतान लेने से इन्कार करे तो यथास्थिति, ऐसे ऋण या उसके अंश पर, नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से ब्याज नहीं मिलेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी ऐसे ऋण की धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो वह व्यक्ति जिसे उक्त ऋण देय हो, [ग्राम विकास बैंक] द्वारा ऋण के मद्धे प्रस्तुत की गयी धनराशि का भुगतान लेने के लिये बाध्य होगा, किन्तु इस प्रकार भुगतान लेने से उस व्यक्ति के उस अधिकार पर, यदि कोई हो जो उसे अपने द्वारा अभियाचित अवशेष की वसूली करने के लिये प्राप्त हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15— (1) यदि [ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में निष्पादित की किसी बन्धक के अधीन देय कोई किस्त या ऐसी किस्त का कोई अंश, उस दिनांक से जबसे वह देय हुआ हो, एक मास से अधिक अदत्त रहा हो, तो प्रबन्ध समिति किसी ऐसे अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त जो उक्त बैंक को प्राप्त हो, बंधक ग्रस्त भूमि की उपज के, जिसके अन्तर्गत खड़ी फसल भी है, अभिहरण तथा विक्रय द्वारा ऐसी किस्त या उसके अंश की वसूली के लिये निबन्धक को प्रार्थना-पत्र दे सकती है।

अभिहरण कब किया
जायेगा

(2) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, निबन्धक या उसके द्वारा लिखित रूप में तदर्थ 1882

ऐक्ट संख्या 4,

अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882 में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, उक्त उपज के अभिहरण या विक्रय करने के प्रयोजन के लिये नियत रीति से कार्यवाही कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जब किस्त देय हुई हो, बारह मास के बीत जाने के उपरान्त, कोई अभिहरण नहीं किया जायेगा।

(3) अभिहरण उतनी सम्पत्ति का किया जायेगा, जिसका मूल्य, यथासम्भव निकटतम, देय धनराशि अभिहरण के व्यय तथा विक्रय के परिव्यय और अभिहरण की हुई सम्पत्ति पर पूर्व प्रभार के, यदि कोई हो, सम्बन्ध में भी देय धनराशि के योग के बराबर होगा।

16— (1) ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882 में किसी बात के होते हुये भी, यदि का

विक्रय के अधिकार

न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय का अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या जायेगा

प्रयोग कब किया

उसके पश्चात् [की गयी प्रभार की घोषणा या निष्पादित बंधक विलेख द्वारा]¹ [ग्राम विकास बैंक]⁴ को स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, तो ऐसे बैंक की प्रबन्ध समिति को अथवा ऐसी 4, 1882 समिति तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, [बंधक या प्रभार के अधीन बकाया धन]² या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में उक्त बैंक के उप लभ्य किसी अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त, बन्धकग्रस्त [या भारित]³ सम्पत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने का अधिकार होगा।

ऐक्ट संख्या

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1979 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 5 (क) द्वारा बढ़ाई गई।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उपर्युक्त की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964] [धारा 17]

(2) ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि —

(क) एक लिखित नोटिस जिसमें ऐसे बन्धक धन या उसके अंश के भुगतान की अपेक्षा की गयी हो, निम्नलिखित पर तामील न कर दिया गया हो :-

(1) बन्धक कर्ता या बन्धक कर्ताओं में से प्रत्येक;

(2) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका बैंक की जानकारी में बंधकग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके अन्मोदन के अधिकार में कोई हित हो अथवा उस पर कोई प्रभार हो;

(3) बंधक-ऋण या उसके किसी अंश के भुगतान के लिये कोई प्रतिभार तथा

(4) बंधककर्ता का कोई ऋणदाता जिसने अपनी सम्पदा के प्रशासन से सम्बन्धित किसी वाद में बंधकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिये डिक्री प्राप्त कर ली हो,

(ख) ऐसी तामील से तीन महीने के पश्चात् उक्त बंधक-धन अथवा उसके अंश के भुगतान में चुक न की गयी हो, और

(ग) मण्डल के खण्ड (क) में उल्लिखित बंधक-कर्ता या अन्य किन्हीं व्यक्तियों की आपित्तियों को, यदि कोई है, सुनने के पश्चात् ऐसे अधिकार के प्रयोग को प्राधिकृत न कर दिया हो।

(3) इस धारा के अधीन विक्रय, ऐसी रीति से किया जायगा कि नियत की जाये।

{(4) जहां इस अधिनियम के अधीन बेची गयी कोई सम्पत्ति बंधक या प्रभार करने वाले व्यक्ति के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के, या किसी {ग्राम विकास बैंक}³ या, {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}³ के पक्ष में ऐसे बंधक रखे जाने के या प्रभार सृजन के पश्चात् हक का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो तो कलेक्टर क्रेता के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे क्रेता या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को सम्पत्ति पर अध्यासित कराकर दिये जाने का आदेश देगा।}

{(5) इस धारा के अधीन किसी कृषि जोत या किसी अन्य अचल सम्पत्ति या उसमें किसी हित का विक्रय उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157-क और 157-ख के उपबन्धों के अधीन होगा।}

17— यदि किसी {ग्राम विकास बैंक}⁴ के पास बंधक रखी गयी कोई सम्पत्ति पूर्णतः नष्ट

अथवा अंशतः नष्ट हो जाये अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाये और बन्धक कर्ता को {ग्राम

विकास बैंक}⁴ की प्रबन्ध समिति द्वारा इस बात का समुचित अवसर दिये जाने के बाद कि वह {ग्राम

का प्रतिदान करे जो समिति अवधारित करे, वह उक्त प्रतिभूति की व्यवस्था न करे या ऋण के उक्त भाग का प्रतिदान न करे तो सम्पूर्ण ऋण तुरन्त उतने दिये समझा जायेगा और समिति बंधककर्ता के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उसकी वसूली के लिये कार्यवाही करने की हकदार हो जायेगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा के अर्थ में प्रतिभूति तब तक अपर्याप्त मानी जायगी जब तक बंधकग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य बंधक के सम्बंध में तत्समय देय धनराशि से उस अनुपात में अधिक न हो जो {ग्राम विकास बैंक}⁴ के नियमों, विनियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाये।

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1979 की धारा 5 (ख) द्वारा बढ़ाई गयी।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 वर्ष 1989 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उपर्युक्त की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964}

18-20}

बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति

होने अथवा प्रतिपूर्ति

अपर्याप्त होने पर

विकास बैंक⁴ के इतनी अंश

{धारा

18— (1) सीधे [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]¹ के पास रखे गये बंधक की दशा में मंडल अथवा न्यासधारी का धारा 15, 16, और 17 के अधीन किसी [ग्राम विकास बैंक]² की प्रबन्धक समिति को दिये गये सम्पत्ति के अभिहरण तथा समस्त अधिकार मंडल या न्यासधारी को प्राप्त होंगे, और धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अधिकार अधिकार का प्रयोग करने में उस धारा की उपधारा (2) का खण्ड (ग) अस्तित्व हीन समझा जायगा। विक्रय आदि का

(2) मण्डल अथवा न्यासधारी किसी [ग्राम विकास बैंक]² की प्रबन्ध समिति के धारा 15 अथवा 16 या धारा 17 के अधीन किसी बाकीदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का निदेश दे सकता है और यदि समिति ऐसा करने में अवधारण करे अथवा ऐसा न करे तो मंडल अथवा न्यासधारी उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी कार्यवाही कर सकता है।

(3) (क) यदि ऐसी कार्यवाही, जिसका उल्लेख उपधारा (1) अथवा (2) में किया गया है मण्डल द्वारा की जाये तो इस अधिनियम तथा तदर्थ बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में उसी प्रकार प्राप्त होंगे मानों उक्त उपबन्धों में [ग्राम विकास बैंक]² तथा उसकी प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में [ग्राम विकास बैंक]² तथा मण्डल के संबन्ध में समस्त अभिदेश न्यासधारी के सम्बन्ध में अभिदेश हों।

(ख) यदि ऐसी कार्यवाही, जिसका उल्लेख उपधारा (1) अथवा (2) में किया गया है न्यासधारी द्वारा की जाये तो इस अधिनियम तथा तदर्थ बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों उक्त उपबन्धों में [ग्राम विकास बैंक]² अथवा उसकी प्रबन्ध-समिति के सम्बन्ध में समस्त अभिदेश न्यासधारी के सम्बन्ध में अभिदेश हों।

19— यदि धारा 16 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत प्रयोग आदि के अनियमितता

कोई सम्पत्ति बेची जाये तो क्रेता के आगम पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी के कि—आपत्ति

आधार पर क्रेता आगमन पर नहीं की जायेगी

(क) विक्रय का अधिकार देने के लिये अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अथवा

(ख) विक्रय का यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था, अथवा

(ग) विक्रय के अधिकार का अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था, किन्तु किसी व्यक्ति को जिसे किसी ऐसे अधिकार के अनधिकृत, अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग से कोई क्षति पहुंची हो, [ग्राम विकास बैंक]² के विरुद्ध क्षति मूल्य का दावा करने का अधिकार होगा।

20— ऋण शोधक्षमता से सम्बन्धित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, [ग्राम विकास बैंक]² के पक्ष में निष्पादि बंधक पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह के

बंधक कर्त्ता के शोधाश्रम हो जाने

मूल्यवान प्रतिफल के लिये सद्भावना से निष्पादित नहीं किया गया था या कि वह बंधककर्त्ता आपत्ति नहीं

आधार पर की जायेगी के

अन्य ऋणदाताओं पर [ग्राम विकास बैंक]² को अधिमान देने के लिये निष्पादित किया गया था।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964} 21—21ग}

{धारा

21— (1) मण्डल स्वतः अथवा [ग्राम विकास बैंक]⁵ के प्रार्थना-पत्र पर तथा उन तथा

प्रापक की नियुक्ति

परिस्थितियों में, जिनमें धारा 16 के अधीन किसी प्रबंध-समिति अथवा मंडल द्वारा विक्रय के अधिकार का प्रयोग, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, बंधक ग्रस्त सम्पत्ति 4, 1982 अथवा उसके किसी भाग के लिये लिखित रूप से एक प्रापक नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा

उसके अधिकार ऐक्ट सं०

प्रापक, सम्पत्ति पर कब्जा करने और उसकी उपज तथा आय को संग्रहीत करने, अपने द्वारा वसूल किये गये धन में से अपना प्रबन्ध व्यय, जिसमें उसका मण्डल द्वारा निश्चित किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सम्मिलित है—काट लेने और अवशिष्ट धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882 की धारा 69-ए की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक वे लागू हों, उपयोग करने का हकदार होगा।

(2) मण्डल स्वतः अथवा बंधकर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रापक को हटा सकता है।

(3) प्रापक के पक्ष में हुई रिक्ति की पूर्ति मण्डल द्वारा की जा सकती है।

(4) इस धारा के किसी बात से मण्डल को उस दशा में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार न होगा जब बंधकग्रस्त सम्पत्ति पहले से ही दीवानी न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक के कब्जे में हो।

{21-क— राज्य सरकार किसी {ग्राम विकास बैंक}⁵ या {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास वाले बैंक}⁴ से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्बन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तरणीय

अन्तरणीय अधिकार
कृषकों को

जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, समस्त भूमिधरों को, चाहे वे अन्तरणीय अधिकार करना

अधिकार निहित

वाले हो या नहीं { , असामियों}² और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन वृत्त भूमि में या ऐसी भूमि में किसी हित में, अन्तरण के अधिकार, जिसमें ऐसी भूमि या हित के सम्बन्ध में ऐसे बैंक के पक्ष में प्रभार या बन्धक करने का अधिकार भी सम्मिलित है, निहित कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर ऐसे भूमिधर { , असामी}² और सरकारी पट्टेदार को तत्समय, प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा ग्रान्ट या अन्य संलेख में किसी प्रति कुल बात के या किसी रूढ़ि या परम्परा के होते हुये भी, अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार अन्तरण का अधिकार होगा।¹

{21-ख— (1) कोई व्यक्ति, जो किसी ग्राम विकास बैंक या {उत्तर प्रदेश सहकारी या ग्राम विकास बैंक}⁴ से अपनी चल संपत्ति को गिरवी रखकर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का सहकारी ग्राम

{ग्राम विकास बैंक}⁵
{उत्तर प्रदेश

इच्छुक हो, सम्यक रूप से स्टांपित पत्र पर लिखित घोषणा कर सकता है कि वह उसके द्वारा पक्ष में

विकास बैंक⁴ के
प्रभार का सृजन

ऐसे बैंक के पक्ष में ऐसी संपत्ति को गिरवी रखता है।

(2) जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास, जो किसी {ग्राम विकास बैंक}⁵ या {सहकारी ग्राम विकास बैंक}⁴ से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मूल्य की सम्पत्ति न हो, तब उसे ऐसे बैंक द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसी नियत की जाए, बैंक के संतोषानुसार प्रतिभू प्रस्तुत करने पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

21-ग— इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन लिए गए प्रभारी और रखे गये उपबन्ध

इस अधिनियम के

बन्धकों के संबंध में बनाये गये नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम होंगे

गिरवी, पर लागू

के अधीन गिरवी रखी गयी चल सम्पत्ति पर लागू होंगे।³

1. उ.प्र. अधिनियम सख्या 3, 1979 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 वर्ष 1989 की धारा 10 (क) तथा 10 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट। 3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964}

{धारा

22-23}

{22— संपत्ति का अन्तरण, अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में को किसी बात के होते हुये भी, ऐसी कोई सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में किसी {ग्राम विकास बैंक}² उस पर

बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति
पट्टे पर देने या

या {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}³ के पक्ष में कोई प्रभार, गिरवी या बंधक किया गया हो, सृजित करने

अन्य अधिकार
के बंधकर्ता के

अधिकार पर प्रभार गिरवी या बन्धकर्ता द्वारा तब तक बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि उसके द्वारा {ग्राम विकास बैंक}² या {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक}³ से लिये गये ऋण या

निर्बन्धन

अग्रिम को सम्पूर्ण धनराशि और उसके ब्याज का भुगतान बैंक को न कर दिया गया हो इस धारा का उल्लंघन करके किया गया कोई संव्यवहार शून्य होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी सदस्य द्वारा और उधार ली गयी धनराशि के किसी का भुगतान कर दिया जाय तो उस सदस्य के प्रार्थना-पत्र पर [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]³ यथास्थिति, [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]³ के अनुमोदन से [ग्राम विकास बैंक]², सम्पत्ति या उसमें हित के ऐसे भाग को, जिसे वह उचित समझे, बैंक के पक्ष में सृजित या किये गये बन्धक, या गिरवी से, सदस्य द्वारा देय शेष धनराशि की सुरक्षा का सम्यक ध्यान रखते हुये निर्मुक्त कर सकता है।¹

23— (1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या

[ग्राम विकास बैंक]³

किसी बात के होते हुए भी किसी उधारकर्ता सदस्य द्वारा ऋण का प्रदान सुरक्षित करने के विकास

[उत्तर प्रदेश ग्राम

प्रयोजन के लिए [ग्राम विकास बैंक]² या [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]³ के पक्ष में निष्पादित निष्पादित

बैंक]² के पक्ष में लेख्यों का

रजिस्ट्रीकरण किसी भूमि या उसमें किसी हित या अन्य अचल सम्पत्ति पर प्रभार या बन्धक सूचित करने वाले विलेख को उसके निष्पादित के दिनांक से उक्त अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत समझा जायगा, बशर्ते बैंक, निष्पादन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उस लेख्य की, जिसके द्वारा ऐसा प्रभार या बन्धक सृजित किया गया हो, एक प्रति जो बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा सम्यक् रूप से सही प्रति प्रमाणित की गयी हो, रजिस्ट्रीकृत के पास भेज दी गई हो, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रभारित या बन्धक रखी गयी सम्पूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और संबद्ध उप रजिस्ट्रार, यथास्थिति, ऐसी प्रति या प्रतियों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करेगा।

(2) जहां उप रजिस्ट्रार की राय हो कि उक्त लेख्य पर सम्यक् रूप से स्टाम्प नहीं लगाया गया है या उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न कोई त्रुटि हो गयी हो वहां वह लेख्य की, यथास्थिति, प्रति या प्रतियां बैंक को वापस भेज कर उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह तीन दिन या ऐसी बढ़ाई अवधि के भीतर, जिसकी अनुमति उप रजिस्ट्रार उस निमित्त दे, मूल प्रति पर स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करे या त्रुटि को दूर करे। बैंक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में किसी बात के होते हुये भी, कमी को पूरा करायेगा त्रुटि को दूर करायेगा।

(3) बैंक, यथास्थिति, स्टाम्प शुल्क की कमी पूरी होने या त्रुटि दूर होने के पश्चात् लेख्य की प्रति उपधारा (1) में निर्धारित रीति से उप रजिस्ट्रार के पास पुनः भेजेगा, और तदुपरान्त उप रजिस्ट्रार उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार पुस्तक संख्या 1 में उस प्रति को नत्थी करेगा।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964]

[धारा

23क-27]

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के किसी बात के होते हुये भी, उधारकर्ता सदस्य, न्यासधारी या [ग्राम विकास बैंक]⁴ या [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]⁴ के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह स्वयं या अभिकर्ता द्वारा किसी ऐसे संलेख को, जिसका निष्पादन उसने अपने अधिकारिता रूप में किया हों, रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध किसी रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो या उक्त अधिनियम की धारा 58 कार्यवाही में किये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करे।

[23-क— जहां प्रभार या बंधक सृजन करने वालो लेख्य की प्रति धारा 23 के अधीन अंकित

प्रभार या बन्धक

रजिस्ट्रीकरण के लिये भेज दी गई हो, वहां बैंक के ऐसे लेख्य की एक प्रति तहसीलदार या राजस्व

करने के लिये रजिस्टर

ऐसे अन्य पदधारी को भी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाय, भेजेगा। तहसीलदार या अन्य पदधारी ऐसे प्रभार या बंधक का विवरण इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में अंकित करेगा। रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में होगा और उसका निरीक्षण करने की अनुमति

और उसकी प्रतियां या उससे उद्धरण ऐसी रीति से और ऐसा शुल्क देने पर दिये जायेंगे जो नियत किये जायें।¹

[24— यदि मण्डल उचित समझे तो वह इस अधिनियम की धारा 16, 18 और 21 कतिपय

मण्डल द्वारा

अधीन अपने सभी या किन्हीं अधिकारों को बैंक के किसी एक या अधिक अधिकारियों को प्रतिनिधान प्रतिनिहित कर सकता है।]²

अधिकारों का

25— ट्रांसफर आफ प्रापटी ऐक्ट, 1882 की धारा 102 और 103 के, तथा उक्त धाराओं ऐक्ट,

ट्रांसफर आफ प्रापटी

के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उक्त ऐक्ट की धारा 104 के अधीन उच्च न्यायालय 103

1982 की धारा 102,

द्वारा बनाये गये नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन तामील किये जाने वाली सभी नोटिसों पर यथाशक्य प्रवृत्त होंगे।

और अधिनियम 104 नोटिसों पर लागू

होना

26— (1) यदि [ग्राम विकास बैंक]⁴ के पक्ष में निष्पादित किसी बन्धक पर, चाहे वह संयुक्त

ऐक्ट सं. 4, 1882

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले निष्पादित किया गया हो या बाद में कोई आपत्ति इस प्रबंधक

हिन्दू परिवारों के

आधार पर की जाये कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिये बन्धक

द्वारा निष्पादित

निष्पादित किया गया था, जो उस परिवार के वयस्क या अवयस्क सदस्यों पर बन्धनकारी नहीं था, तो इसे सिद्ध करने का भार, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, उस पक्ष पर होगा, जो उस बन्धक पर आपत्ति करें।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे, जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे :—

(क) कृषि भूमि का या खेती की रीतियों में सुधार अथवा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये अन्य साधनों को वित्त पोषित करना, और

(ख) भूमि का कय;

[(ग) परिवार के लिए ग्रामीण निवास-गृहों का निर्माण।]³ संशोधन

धारा 26 का

27— हिन्दू माइनरिटी एण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट, 1956 की धारा 8 [ग्राम विकास बैंक]⁴ अधीन

परिष्कार, जिसके

के पक्ष में किये गये बंधकों पर इस परिष्कार के अधीन रहते हुये प्रवृत्त होगी कि उसमें माइनरिटी

रहते हुये हिन्दू

न्यायालय को किया गया अभिदेश कलेक्टर या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को किया गया ऐक्ट,

एण्ड गार्जियनशिप 1956 की धारा 8

इस अभिदेश समझा जायेगा और कलेक्टर या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश के विरुद्ध

अधिनियम के अधीन अपील

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 वर्ष 1989 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964}

{धारा

28-28क}

[28— (1) उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के बैंको

अन्य अधिनियमों में

दिनांक से, किसी विधि या परिनियत संलेख में—

के लिए किया गया

ग्राम विकास बैंक]³ या {उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक]³ के लिए किया गया कोई अभिदेश {उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]³ के लिए किया गया अभिदेश समझा जाएगा;

(ख) किसी कृषि ग्राम्य बंधक बैंक या किसी {ग्राम विकास बैंक}² के लिए किया गया अभिदेश किसी ग्राम विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जाएगा।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारंभ के दिनांक को विद्यमान {उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक}³ या यथास्थिति, {ग्राम विकास बैंक}⁴ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ऐसे बैंक का मूल प्रमाण पत्र और उपविधियां तदनुसार संशोधित हो जाएंगी और निबंधक के आदेश से किया गया ऐसा नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन समिति द्वारा सम्यक रूप से नाम परिवर्तित किया गया समझा जाएगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा {उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक}³ के पक्ष में कोई बन्धक सीधे निष्पादित किया जाये, वहां धारा 14, 20, 22, 23 26 और 27 में ग्राम विकास बैंक के लिये किये गये सभी अभिदेश {उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक}³ के लिये किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।¹

[28-क— (1) उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, सहकारी

उत्तर प्रदेश

1994 के प्रारम्भ के दिनांक से, किसी विधि या परिनियत संलेख में —
विकास

कृषि एवं ग्राम्य
बैंक
(संशोधन)

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया के

अधिनियम, 1994
प्रारम्भ होने के
अन्य अधिनियमों
के लिए किया
अभिदेश किस
समझा जायेगा

पश्चात् गया कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश में बैंक समझा जायेगा;
गया

प्रकार (ख) राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा;

(ग) किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अभिदेश ग्राम विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा;

(घ) किसी सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अभिदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक तथा कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के रूप में निबन्धक द्वारा लिखित आदेश द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा और ऐसे बैंक का मूल प्रमाण-पत्र और उपविधियां तदनुसार संशोधित हो जायेगी और निबन्धक के आदेश से किया गया ऐसा नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन समिति द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित किया गया समझा जायेगा।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 वर्ष 1989 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964}
29—30}

{धारा

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के पक्ष में कोई बन्धक सीधे निष्पादित किया जाय, वहां धारा 14, 20, 22, 23, 26 और 27 में ग्राम विकास बैंक के लिए किए गए सभी अभिदेश उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।³

29— मण्डल, न्यासधारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, ऐसे विनियम बना सकता मण्डल है, जो इस अधिनियम, {उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक}² के नियमों एवं उपविधियों के उपबन्धों से असंगत न हो और जिनमें निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी की व्यवस्था की गयी हो—

विनियम बनाने व
का अधिकार

(क) ऋण-पत्रों की अवधि तथा उन पर देय ब्याज की दर निश्चित करना,
 (ख) ऋण-पत्रधारियों को नोटिस देने के पश्चात् ऋण-पत्रों का प्रत्याहरण,
 (ग) क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट ऋण-पत्रों के स्थान पर नये ऋण-पत्र जारी करना,

(घ) एक वर्ग के ऋण-पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण-पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हों,

(ङ) [ग्राम विकास बैंकों]³ के बही-खातों तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण,

(च) [ग्राम विकास बैंकों]³ द्वारा अपने व्यवहारों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन एवं विवरणियाँ प्रस्तुत करना,

(छ) [ग्राम विकास बैंकों]³ और उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक के बीच नियतकालिक लेखा-परिशोधन तथा उन बंधकों पर, जो [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]² को संकमित किये गये हों या धारा 12 के अधीन संकमित किये गये समझे गये हों, [ग्राम विकास बैंकों]³ द्वारा वसूल की गयी धनराशियों का भुगतान,

(ज) वह प्रपत्र निर्दिष्ट करना, जिसमें ऋणों के लिये [ग्राम विकास बैंक]³ अथवा [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक]² को प्रार्थना-पत्र दिये जायें तथा इस प्रकार के ऋणों के दिये जाने के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(झ) ऋणों के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी सम्पत्तियों का मूल्यांकन,

(ञ) बंधककर्ताओं से वसूल की गयी धनराशियों को विनियोजन, तथा

(ट) सामान्यतया कोई ऐसा अन्य विषय, जिसके सम्बन्ध में मण्डल यह समझे कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपबन्ध बनाये जाने चाहिये :

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (झ) के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगे।

30— (1) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशन के पश्चात् सामान्यतया इस नियम के प्रयोजनों राज्य

नियम बनाने का

को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है, [जिसके अन्त इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस नियत करने का कोई नियम भी है।]¹

सरकार का

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 10 द्वारा बढ़ाई गयी।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 वर्ष 1994 की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

[उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964]

[धारा

31-32]

(2) विशेषतया तथा उपधारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी की व्यवस्था करने के लिये नियम बना सकती है —

(क) [ग्राम विकास बैंक]² को बंधक रखी गयी भूमि की उपज अभिहरण करने तथा उसके विक्रय की प्रक्रिया,

(ख) [ग्राम विकास बैंक]² को बंधक रखी गयी सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया,

(ग) मण्डल द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों की सीमा अवधारित करने के लिये धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिशत निश्चित करना,

(घ) वे शर्तें निर्धारित करना, जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दी गयी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ायी, समाप्त, कम या परिष्कृत की जा सकती है,

(ङ) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जाना हो अथवा जो नियत किया जाये।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान-मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता प्रतिकूल पर प्रभाव न डालेगा।

31— न्यासधारी, निबंधक, या धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन सम्पत्ति का अभिहरण और विक्रय करने के लिये निबंधक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अथवा धारा 21 के होंगे न्यासधारी तथा अन्य व्यक्ति लोक सेवक अधीन नियुक्त कोई प्रापक, इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे ऐक्ट संख्या 45, 1860 जायेंगे।

32— धारा 31 में अभिदिष्ट कोई लोक सेवक, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बोली बेची गयी चल या अचल सम्पत्ति का न तो क़य करेगा और न उसमें बोली बोलेगा। लोक सेवक बिक्री में न बोलेंगे

THE UTTAR PRADESH [SAHAKARI GRAM VIKAS BANK] ACT, 1964¹

[U. P. Act No. XVI of 1964]

Amended by U. p. Act, No. 27 of 1978

U. P. Act No: 3 of 1979

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 13, 1964 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 6, 1964.]

Received the assent of the President on July 9, 1964 under Article 201 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated July 20, 1964]

AN

ACT

to facilitate the working of [Sahakari Gram Vikas Banks]⁴ in the State of Uttar Pradesh.

Preamble Whereas it is expedient further to facilitate the working of the [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]⁵ and the formation and functioning of [Sahakari Gram Vikas Bank]⁵ in the State;

IT IS HEREBY enacted in the Fifteenth Year of the Republic of India as follows :-

Short title 1. (1) This Act may be called the [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]⁴ Act, 1964.

extent and commencement

Pradesh.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar

(3) It shall come into force from such date as the State Government may, by notification* in the Gazette appoint In this behalf.

Definitions 2. In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Board" means the Board of Directors of the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank 2]⁴;

(b) "Bye-laws" means the bye-laws registered under the Co-operative Societies Act, for the time being in force in Uttar Pradesh and includes a registered amendment of the bye-laws;

(c) ["Sahakari Gram Vikas Bank"]⁴ means a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act for the time

being in force in Uttar Pradesh, admitted as a member of the State Land Development Bank, and having as its main object the advancement of loans to its members [on the mortgage of or [or on hypothecation of movable property]³, or against the unconditional guarantee of the State Government]² [generally for agricultural and rural development including construction of dwelling houses in rural areas]³;

1. For statement of objects and reasons see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary) dated April 3, 1964. *The Act came in to force w. e. f. August 15, 1964 vide notification no. 4568 c/XIICA-1150/63 dated August 13, 1964.
2. Substituted by section 2(i) of the U. P. Act 27, 1978.
3. Subs. by section 5 of U.P. Act No. 16 of 1989.
4. Subs. by section 2 of U.P. Act No. 19 of 1994.
5. Subs. by section 3 and 4 ibid.

[The U. P. Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 3-5]

(d) "Managing Committee" means the governing body of a [Gram Vikas Bank]⁴ to which the management of its affairs is entrusted;

(e) "Officer" includes a chairman, secretary, treasurer, member of the Board or the managing committee or other person empowered under the rules or the bye-laws to give directions in regard to the business of the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]³ or a [Gram Vikas Bank]⁴;

(f) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(g) "Rules" means the rules made under this Act;

(h) "Registrar" means the person, appointed by the State Government to be Registrar of Co-operative Societies for the State of Uttar Pradesh under the provisions of the Co-operative Societies Act for the time being in force in Uttar Pradesh;

(i) "Regulation" means the regulations framed by the Board under this Act;

(j) "[Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]³ or [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]³ means a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act for the time being in force in Uttar Pradesh with its area of operation covering the whole of Uttar Pradesh and carrying on the-business as a [Gram Vikas Bank]⁴ and facilitating [the operation of its members.]¹

(k) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(1) "Trustee" means the Trustee referred to in section 4 of this Act.

Number of [Gram Vikas may be Bank] ⁵ ³	3.	There shall not be more than one [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank] ³ for the whole of Uttar Pradesh and there may be as many [Gram Vikas Bank] ⁴ as deemed necessary by the Registrar.
Appointment of Trustee and his powers and functions	4.	(1) The Registrar shall be the Trustee for the purpose of securing the fulfillment of the obligations of the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank] ³ to the holders of debentures issued by the Board. (2) The powers and functions of the Trustee shall be governed by the provisions of this Act and by the instrument of Trust executed between the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank] ³ and the Trustee as modified [or substituted] ²

from time to time by their mutual agreement and with the approval of the State Government.

Trustee to be 5. The Trustee appointed under section 4 shall be a corporation sole by the corporation and sale name of the Trustee and shall have perpetual succession and a common seal in his corporate name may sue and be sued.

1.Substituted by section 2 (ii) of U. P. Act No. 27, of 1978. 2.Ins. by Section 3 ibid.

3.Substituted by section 4 (b) of U.P. Act No. 19 of 1994.

4.Subs. by section 4 (d) ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 6-7]

Issue of 6. [(1) With the previous sanction or the State Government and the Trustee, and debentures by subject to such terms and conditions as the State Government may impose, the Board the board may, from time to time, issue debentures of one or more denominations, for such period or periods as it may deem expedient, against the unconditional guarantee by the State Government for repayment in full of the principal and payment of interest thereon or on the security of mortgages, charges or hypothecations partly held and partly to be acquired and the properties and other assets transferred or deemed to have been transferred under the provisions of section 12 by the [Gram Vikas Bank]⁸ to the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]⁷ and other properties of the State Land Development Bank :]¹

[Provided that no debenture shall be issued otherwise than in conformity with such directions or instructions as may be issued by the Reserve Bank of India, or the National Bank for Agriculture and Rural Development, from time to time.]⁴

(2) Such debentures may contain a term fixing a period not exceeding [twenty years]⁵, from the date of issue during which they shall be irredeemable, or reserving to the Board the right to call in at any time any of the debentures in advance of the date fixed for redemption, after giving to the debenture-holders concerned not less than three months' notice in writing.

[(3) The total amount due on debenture already issued by the Board under sub-section (1), together with the amount of any debentures proposed to be issued, shall not exceed the aggregate of--

(a) the amounts due on the mortgages or charges [or any loan advanced against the unconditional guarantee by the State Government]⁶ and the value of other assets transferred or deemed under section 12, to have been transferred by the [Gram Vikas Bank]⁸ to the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]⁷ and subsisting at such time;

(b) the accumulations in the Debenture Redemption Fund;

(c) the cash in hand and the balances with the banks and the book value or market value of securities under general funds, whichever is less ; and

(d) such percentage of the amounts mentioned in clauses (a), (b) and (c), as may be prescribed.]²

Vesting of 7. [Upon the issue of debentures under section 6, the benefit under the State property in Government guarantee and the mortgaged properties and other assets referred to in Trustee sub-section (3) of the said section and held by the Board, shall vest in the Trustee and Debenture the holders, of the debentures shall be entitled to the benefit of the guarantee of the holders charge State Government and shall also have a floating charge on all such mortgages and on the assets

assets and amounts paid under such guarantee or mortgages and remaining in the hands of the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]⁷ or of the Trustee.³

1.Substituted by section 4 (i) of U. P. Act No. 27, of 1978.

2.Substituted by section 4 (ii) *ibid*.

3.Substituted by section 5 *ibid*.

4.Added by section 6 (a) of U.P. Act No. 16 of 1989

5.Subs. by section 6 (b) *ibid*.

6.Ins. by section 6 (c) *ibid*.

7.Substituted by section 4 (b) of U.P. Act No. 19 of 1994.

8. Subs. by section 4 (d) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 8-9A]

Guarantee shall in by State may Government of principal and interest prescribed, on debentures 8. (1) The principal of and interest on the debentures issued under section 6 respect of such maximum amount as may be fixed by the State Government by notification in the "Gazette" in this behalf, and subject to such conditions as it think fit to impose therein, carry the guarantee of the State Government.

(2) The State Government may, subject to such conditions as may be increase the maximum amount of any guarantee given under sub-section (1).

(3) The State Government may, after consulting the Board and the Trustee-

(b) by notice in such of the principal newspapers in the State and of other States in India as the State Government may select in this behalf,

discontinue any guarantee given by it or restrict the maximum amount thereof or modify the conditions, subject to which it is given, with effect from a specified date, not being earlier than six months from the date of publication of the notification in the official Gazette :

Provided that the withdrawal, restriction or modification of any guarantee shall not in any-way affect the guarantee carried by any debenture issued, prior to the date on which such withdrawal, restriction or modification takes effect.

(4) Every notification and notice referred to in sub-section (3) shall, where the maximum amount of the guarantee is to be restricted or the conditions subject to which the guarantee is given, are to be modified set forth precisely the scope and effect of the restriction or modification, as the case may be.

Guarantee and Fund on mortgages not 9. (1) The State Government may constitute a Guarantee Fund on such terms conditions as it may deem fit, for the purpose of meeting losses that might arise account of loans advanced by the [Gram Vikas Bank]⁴ on the security of being fully recovered due to such circumstances as may be prescribed.

(2) The [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank 2]³ and the [Gram Vikas Bank]⁴ shall contribute to such fund at such rates as may be prescribed.

[(2-A) The State Government may also contribute to the fund from time to time such, amount as it may deem fit.]¹

(3) The fund shall be maintained and utilized ill such manner and for such purposes as may be prescribed.

[Power to Societies borrow Reserve money of such

9-A Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Co-operative Act, 1965 the Board may borrow money from the State Government or the Bank of India, or the National Bank for Agricultural and Rural Development other financial Institution, as may be approved by the Trustee.²

1. Ins. by Section 2 of U. P. Act No. 3 of 1979.

2.Added by section 7 of U.P. Act No. 16 of 1989.

3.Substituted by section 4 (b) of U.P. Act No. 19 of

1994. 4.Subs. by section 4 (d) ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964] [Section 10-13]

Priority of Pradesh mortgage of this Act, over a, loan certain claims	10.	A mortgage executed [or charge created] ¹ in favour of the [Uttar Gram Vikas Bank] ⁶ or a [Gram Vikas Bank] ⁷ after the commencement shall have priority over any claim of the, Government arising from granted, after the execution of such mortgage, [or creation of such charge] ² the Land Improvement Loans Act, 1883.
under Act XIX of		
Right of being in [Gram Vikas Pradesh Gram Bank] ⁷ or of the property so the [Uttar be Pradesh Gram Vikas Bank 2] ⁵ to Land purchase mortgaged by a property U.P. Act 1 of 1951	11.	[(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time force, it shall be lawful for a [Gram Vikas Bank] ⁷ or the [Uttar Vikas Bank] ⁶ to purchase any property sold under this Act and purchased shall be disposed of by such Bank by sale 'within period as may fixed by the Trustee.] ³ (2) Nothing in section 154 of the U. P. Zamindari Abolition and Reforms Act, 1950, or in any other law for the time being in force, fixing a maximum limit of agricultural holding shall apply to the acquisition of land [Gram Vikas Bank] ⁷ or the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank] ⁶ [(2-A) if the bank has to lease out any land acquired by it under section (1) pending sale thereof, the period of lease shall not exceed one time and the lessee shall not acquire any other interest in that property notwithstanding any provisions to the contrary in any other law for the time being in force.] ⁴
sub- year at a		
Mortgages executed in of [Gram Vikas Bank] ⁷ to stand vested in [Uttar Pradesh Gram Bank.] ⁵ Vikas Bank] ⁶	12.	The mortgages executed in favour of and all other assets transferred to, a [Gram Vikas Bank] ⁷ by the members thereof, before or after the favour commencement of this Act, shall with effect from the date of such execution or transfer, be deemed to have been transferred by such [Gram Vikas Bank] ⁷ to the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank 2] ⁶ and shall vest in the [Uttar Pradesh Gram Vikas
Power of Land to Development Bank to receive specific money and communicated to grant payment shall be discharges and	13.	Notwithstanding that a mortgage executed in favour of a [Gram Vikas Bank] ⁶ has been transferred or is deemed under the provisions of section 12 have been transferred to the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank] ⁶ -- (a) all moneys due under the mortgage shall, in the absence of any direction to the contrary issued by the Board or the Trustee and the mortgagor, be payable to the [Gram Vikas Bank] ⁷ and such as valid as if the mortgage had not been so transferred; (b) the [Gram Vikas Bank] ⁷ shall, in the absence of any specific direction to the contrary issued by the Board or the Trustee and communicated to the [Gram Vikas Bank] ⁷ , be entitled to sue on the mortgage or take any other proceeding for the recovery of the amount due under the mortgage.

1.Added by section 3 of U.P. Act No. 3 of 1979.

2.Ins. by section 3 ibid.

3.Subs. by section 4(a) ibid.

4.Ins. by section 4(b) ibid

5.Subs. by section 8 of U.P. Act No. 16 of 1989.

6.Substituted by section 4 (b) of U.P. Act No. 19 of 1994. 7.Subs. by section 4 (c) ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 14-16]

Right of Land 14. (1) Where a mortgage is executes in favour of a [Gram Vikas Bank]⁵ for Development Bank to pay for prior debts of anything contained in the Transfer of Property Act, 1882, or any other law any mortgagor the time being in force, by notice in writing, require any person to whom office Act, IV of such debt or part thereof is due, to receive from the bank at its registered 1882 such amount within such period as may be specified in the notice.

(2) Where any such person refuses to receive such notice or fails or refuses to receive payment, such debt or part thereof, as the case may be, shall, cease to carry interest from the expiration of the period specified in the notice :

Provided that where there is a dispute as regards the amount of any such debt the person to whom such debt is due shall be bound to receive payment of the amount offered by the [Gram Vikas Bank]⁵ towards the debt, but such receipt shall not prejudice the right, if any, of such person, to recover the balance claimed by him.

Distrain 15. (1) If any installment payable under a mortgage executed in favour of a when to be [Gram Vikas Bank]⁵ or any part of such installment remains unpaid for more made than one month from the date on which it falls due, the managing committee may, in addition to any other remedy available to the said bank, apply to the Registrar for the recovery of such installment or part thereof by distrain and sale of the produce of the mortgaged land, including the standing crops thereon.

Act 4 of 1882 (2) On receipt of such application the Registrar or any other person authorized by him in this behalf in writing may, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882, take action in the manner prescribed for the purpose of distaining and selling such produce :

Provided that no distrain shall be made after the expiry of twelve months from the date on which the installment fell due.

(3) The value of the property distrained shall, as nearly as possible, be equal to the total of the amount due, the expenses of the distrain and the costs of the sale and also the amount due on a prior charge, if any, on the property distrained.

Power of sale 16. (1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, when to be 1882, where a power of sale without the intervention of court is expressly exercised conferred on a [Gram Vikas Bank]⁴ [by a declaration of charge made or Act IV of mortgage deed]¹ executed before or after, the commencement of this Act, the 1882 managing committee of such bank or any person authorized by such committee in this behalf shall, in case of default in payment of the [money due under the mortgage or charge]² or any part thereof, have power, in addition to any other remedy available to the said bank, [to bring the property subject to any mortgage or charge to sale]³ without -the intervention of the court.

- 1.Substituted by section 5 (a) of U. P. Act No. 3 of 1979.
- 2.Sub. by section 5 (a) ibid.
- 3.Added by section 5 (a) ibid.
- 4.Substituted by section 4 (b) of U.P. Act No. 19 of 1994.
- 5.Subs. by section 4 (d) ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 17]

(2) No such power shall be exercised unless-

(a) a notice in writing requiring payment of such mortgage money or part has been served upon-

(i) the mortgagor or each of the mortgagors;

(ii) any person' who has to the knowledge of the bank any interest in or charge upon the property mortgaged or right to redeem the same;

(iii) any surety for the payment of the mortgage debt or any part thereof; and

(iv) any creditor of the mortgagor who has in a suit for, the administration of his estate obtained a decree for sale of the mortgaged property ;

(b) default in-payment of such mortgage money or part thereof continued beyond three months after such service; and

(c) the Board has, after hearing the objections, if any, of the mortgagor or any other person mentioned in clause (a), authorized the exercise of such power.

(3) A sale under this section shall be conducted in such manner, as may be prescribed.

[(4) Where any property sold under this Act is in the occupancy of any person creating mortgage or charge, or of some person on his behalf, or of some person claiming title subsequent to the creation of such mortgage or charge in favour of a [Gram Vikas Bank]⁴ or the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]³, the Collector, shall, on the application of the purchaser, order delivery to be made by putting such purchaser, or any person appointed by him in this behalf, in possession of the property.]¹

[(5) A sale under this section of an agricultural holding or any other immovable property or of any interest therein shall be subject to the provisions of sections 157-A and 157-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.]²

Power of Land 17. Where any property mortgaged to a [Gram Vikas Bank]⁴ is wholly or partially Development destroy or the security is rendered insufficient and the mortgagor, having been Bank where given a reasonable opportunity by the managing committee of the [Gram Vikas mortgaged Bank]⁴ of providing further security so as to render the security sufficient or of property is repaying such portion of the loan as may be determined by the committee, has destroyed or security failed to provide such security or to repay such portion of the loan, the whole of becomes in the loan shall be deemed to fall due at once and the committee shall be entitled to sufficient take action against the mortgagor under this Act or any other law for the time being in force for the recovery thereof.

Explanation- A security shall be deemed insufficient within the meaning of this section if the value of the mortgaged property does not exceed the amount for the time being due on the, mortgage by such, proportion as may be specified in the rules, regulations or the bye-laws of the [Gram Vikas Bank]⁴.

1.Added by section 5 (b) of U. P. Act No. 3 of 1979.

2.Added by section 9 of U. P. Act No. 16 of 1989.

3.Substituted by section 4 (b) of U.P. Act No. 19 of 1994.

4.Subs. by section 4 (d) ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 18-20]

Power of 18.
Vikas Board or of
on the Trustee to
and distrain and

sell property
etc.

(1) In the case of a direct mortgage with the [Uttar Pradesh Gram Bank]¹, the Board or the Trustee shall have all the powers conferred managing committee of a [Gram Vikas Bank]² under sections 15, 16 and 17, in exercising the power under sub-section (1) of section 16, clause (c) of sub-section (2) of that section shall be deemed to be non-existent.

(2) The Board or the Trustee may direct the managing committee of a [Gram Vikas Bank]² to take action against a defaulter under section 15 or section 16 or section 17, and if the committee neglects or fails to do so, the Board or the Trustee may take such action subject to the provisions of sub-section (1).

(3) (a) Where such action as is mentioned in sub-section (1) or sub-section (2) is taken by the Board, the provisions of this Act and the rules or regulations made in this behalf shall apply in respect thereto as if all references to the [Gram Vikas Bank]² and to its managing committee in the said provisions were references to the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]² and the Board respectively.

(b) Where such action as is mentioned in sub-section (1) or sub-section (2) is taken by the Trustee, the provisions of this Act and the rules or regulations made in this behalf shall apply in respect thereto as if all references to the [Gram Vikas Bank]² or to its managing committee in the said provisions were references to the Trustee.

Title of 19.
purchaser not
questioned to be question-
ned on the

irregularity
etc.

Where any property is sold in the exercise or purported exercise of a power of sale under section 16, the title of the purchaser shall not be on the ground that-

(a) the circumstances required for authorizing the sale had not arisen, or

(b) due notice of the sale was not given, or

(c) the power of sale was otherwise improperly or irregularly exercised ; but any person who has suffered any damage by an unauthorized, improper or irregular exercise of any such power shall have the right to claim damages against the [Gram Vikas Bank]².

Mortgage not 20.
to questioned
on insolvency
mortgagor

Notwithstanding anything contained in any law relating to insolvency, a mortgage executed in favour of a [Gram Vikas Bank]² shall not be called in question on the ground that it was not executed in good faith for valuable of

consideration or on the ground that it was executed in order to give the
[Gram Vikas Bank]² a preference, over other creditors of the mortgagor.

1. Substituted by section 4 (b) of U.P. Act No. 19 of 1994.

2. Subs. by section 4 (d) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 21-21C]

Appoint of 21. (1) The Board may, on its own motion, or on the application of a
[Gram receiver and Vikas Bank]⁵ under circumstances in which the power of sale without
the his powers intervention of court may be exercised under section 16 by a managing Act
4 of 1882

property committee or the Board, appoint in writing, a receiver of the mortgaged
the or any part thereof and such receiver Shall be entitled to take possession of
realized property, to collect its produce and income, to retain out of any money
fixed by him, his expenses of management including his remuneration, if any, as
of by the Board, and to apply, the balance in accordance with the provisions
as sub-section (8) of section 69-A of the Transfer of Property Act, 1882 so far
applicable.

(2) The Board may, either on its own motion or on an application
made by the mortgagor, remove a receiver appointed under sub-section (1).

(3) A vacancy in the office of the receiver may be filled up by the Board.

(4) Nothing in this section shall empower the Board to appoint a
receiver where the mortgaged property is already in the possession of a
receiver appointed by a civil court.

[Vesting of 21-A The State Government may, by notification vest, subject to such
restriction right of as may be specified in the notification, all Bhumidhars whether with
transferable alienation on rights [, Asamis]² or not and the Government lessees with rights
of alienation in agriculturists

to not having land held under their tenure or any interest in such land including the right
Vikas such rights create a charge or mortgage on such land or interest in favour of a [Gram

obtaining Bank]⁵ or the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]², for the purpose of
Bhumidhar loan from such banks and upon the issue of such notification, such
contained in [,Asami]² and Government lessees shall, notwithstanding anything
instrument to any law for the time being in force or any contract, grant or other
accordance the contrary or any custom or tradition, have a right of alienation in
with the terms of notification.]¹

[Creation of 21-B (1) A person desirous of securing financial assistance from a [Gram
Vikas charge in Bank]⁴ or the [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]⁵ by
hypothecation of favour of movable property own by him may make a declaration
in writing on a duly [Gram Vikas stamp paper that he thereby hypothecates such property
in favour of such bank.

Bank]⁵ or

[Rarjya (2) When a person desirous of securing financial assistance from a
[Gram Sahakari Vikas Bank]⁵ or the [Sahakari Gram Vikas Bank]⁴ does not possesses
property of Gram Vikas sufficient value to secure the loan, financial assistance may be
provided to him Bank]⁵
such by such bank on furnishing sureties to the satisfaction of the bank subject to
conditions, if any, as may be prescribed.

Provisions of 21-C The provisions of this Act and Rule made thereunder relating to
charges and this Act to mortgages made under this Act shall *mutatis mundis* apply to
hypothecation of apply to movable property made under this Act.]³
hypothecation

1.Inserted by section 6 of U. P. Act No. 3 of 1979.

2.Ins. by section 10 (a) and 10 (b) of U.P. Act No. 16 of 1989. 3.Added by section 11 ibid.

4.Substituted by section 4 (b) of U.P. Act No. 19 of 1994. 5.Subs. by section 4 (d) ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 22-23]

[Restrictions 22. Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, mortgagors 1882, or any other law for the time being in force on property in respect of power to lease which a charge, hypothecation or mortgage has been made in favour of a or create other

[Gram Vikas Bank]² or the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]³ shall be sold or rights in the otherwise transferred by the person making the charge, hypothecation or mortgaged and charged mortgage until the entire amount of loan or advance taken by him from the

property [Gram Vikas Bank]² or the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]³ together with interest thereon is paid to the bank and any transaction made in contravention of this section shall be void :

Provided that if a part of the amount borrowed by a member is paid, the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]³, or as the case may be, the [Gram Vikas Bank]² with the approval of the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]³ may, on application from the member release from the mortgage, charge or hypothecation created or made in favour of the bank, such part of the property or interest therein as it may deem proper with due regard to the security of the balance of the amount remaining outstanding from the member.]¹

Registration of 23. (1) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908, or documents any other law for the time being in force, a deed creating charge or mortgage executed in in any land or interest therein or in other immovable property, executed by a favour of borrower member in favour of a [Gram Vikas Bank]² or the [Uttar Pradesh [Gram Vikas Bank]² or the Gram Vikas Bank]³ for the purpose of securing repayment of loan, shall be

[Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]³ the months mortgage authorized to copy or 51 of deemed to have been duly registered in accordance with that Act with effect from the date of the execution provided the bank has sent to the Sub-Registrar within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of property charged, or mortgaged is situate, within, a period of three from the date of execution, by registered post or hand delivery under acknowledgement, a copy of the document creating such charge or duly certified to be a true copy by any employee of the bank sign on its behalf and the Sub-Registrar concerned shall file such copies, as the case may be, in his Book no.1 prescribed under section the-Registration Act, 1908.

(2) Where the Sub-Registrar is of the opinion that the said document is not duly stamped or that it suffers from any defect arising out of accidental slip or omission, he shall send back the copy or copies, as the case may be, of the document to the bank requiring it to get the deficiency in stamp duty made good on the original or to get the defect removed within thirty days or within such extended time as the Sub-Registrar may allow in that behalf.

The bank shall get the deficiency made good or the defect removed, notwithstanding anything contained in the Indian Stamps Act, 1899.

(3) After the deficiency in stamp duty has been made good, or as the case may be, the defect has been removed, the bank shall send the copy of the document again to the Sub-Registrar in the manner laid down in sub-section (1), and thereupon the Sub-Registrar shall file the copy in Book no. 1 in accordance with the provisions of sub-section (1).

1. Substituted by section 7 of U. P. Act No. 3 of 1979.

2. Substituted by section 4 (b) of U.P. Act No. 19 of 1994.

3. Subs. by section 4 (d) ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 23A-27]

(4) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 it shall not be necessary or the borrower member, the Trustee or for any officer of a [Gram Vikas Bank]⁴ or of the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]⁴ merit Bank to appear in person or by agent at any registration office in any proceedings connected with the registration of any instrument executed by him in his official capacity or to sign as provided in section 58 of the said Act.

[Revenue 23-A
Register for
noting
this charge or

A where a copy of the document creating charge or mortgage has been sent for registration under section 23, the bank shall also send a copy of such document to the Tahsildar or such other official as may be, designated in

a mortgage
for
be

behalf by the State Government. The Tahsildar or other official shall make note of the particulars of such charge, or mortgage in a register maintained this purpose. The register shall be in such form and inspection thereof shall allowed and copies of extracts there from issued in such manner and on

payment of such fee as may be prescribed.]¹

[Delegation of
certain powers
Board

24. The Board may, if it thinks fit, delegate all or any of its powers under section 16, 18 and 21 of this Act to anyone or more of the officers of the by Bank.]²

Section 102. 103
Act, and 104 of the
Act Transfer of
Property Act, 1882
be,

25. The provisions of sections 102 and 103 of the Transfer of Property 1882 and of any rules made by the High Court under section 104 of the said

to apply to notices
Act. under this Act

for carrying out the purposes of the said sections, shall apply, so far as may

Act IV of 1882
Mortgages
on executed by
manager of joint

in respect of all notices to be served under this

Hindu families
for

26. (1) Where a mortgage executed in favour of a [Gram Vikas Bank]⁴, whether before or after the commencement of this Ad, is called in question the ground that it was executed by the manager of a joint Hindu family for a purpose not binding on the members thereof whether major or minor, the burden of proof shall; notwithstanding anything contained in any other law- the time being in force, rest upon the party which calls such mortgage in question.

(2) For the purpose of this section the following shall be regarded as purposes binding. on members of a joint Hindu family-

(a) the improvement of agricultural land or of cultivation or for financing any other means productivity of land; and

(b) the purchase of land;
 [(c) constructions of rural dwelling houses for the family.]³

Modification 27. Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, shall apply subject to which to mortgages in favour of a [Gram Vikas Bank]⁴, subject to the modification section 8 of the that reference to the court therein shall be construed as reference to the Hindu Minority Collector or his nominee and the appeal against the order of the Collector or nominee shall lie to the Commissioner.

his and
 Guardia
 nship
 Act,
 1956

- 1.Substituted by section 8 of U.P. Act No. 3, 1979.
2. Subs. by section 9 ibid.
- 3.Subs. by section 4 of U.P. Act No. 16 of 1989
4. Added by section 12 ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 28-28A]

[References to 28. (1) With effect from the commencement of the Uttar Pradesh Sahakari banks in other Gram Vikas Bank 3 (Amendment) Act, 1989 any reference in any law or Act how statutory instrument—

construed

(a)to [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]³
 [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]³, shall be reference to the [Uttar Pradesh Gram Vikas Bank]³

(b)to a land mortgage bank or a Gram Vikas Bank shall be construed as a reference to a [Gram Vikas Bank].²

mortgage bank or
 construed as a

(1)The Name of [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]³ or a [Krishi Evam Gram Vikas Bank]⁴ existing on the date of commencement of the Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank (Amendment) Act, 1989 shall be changed as the [Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank]⁵ or as the case may be [Gram Vikas Bank]⁴, by the registrar by order in writing and the original certificate and bye-laws of such banks shall stand amended accordingly and such change of may, made under order of the registrar, be deemed to be a change of name duly effected by the society under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

Where a mortgage is executed by a person directly in favour of the [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]⁵ all references to [Gram Vikas Bank]⁴ in section 14, 20, 22, 23, 26 and 27 shall be deemed to be references to the s[Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank].¹

[References to 28-A (1) With effect from the commencement of the Uttar Pradesh Sahakari banks in other Krishi Evam Gramya Vikas Bank (Amendment) Act, 1994, any reference in any Acts now construed after law or statutory instrument-

the commen- (a) to the Uttar Pradesh Rajya Sahakari Krishi Evam Gramya Vikas cement of the Bank shall be construed as a reference to the Uttar Pradesh Uttar Pradesh Sahakari Gram

Sahakari Krishi
Evam Gramya
Vikas Bansa
construed as
(Amendment)
Act, 1994

Vikas Bank;

construed as a

(b) to the Rajya Krishi Evam Gramya Vikas Bank shall be

a reference to the Uttar Pradesh a Gram Vikas Banks;

(c) to a Krishi Evam Gramya Vikas Bank shall be
reference to a Gram Vikas Bank;

(d) to a Sahakari Srishti Evam Gramya Vikas Bank shall be
construed as a feference to a Sahakari Gramya Vikas Bank.

(2) The names of the “Uttar Pradesh Rajya Sahakari Krishi Evam Gramya Vikas Bank” and “Krishi Evam Gramya Vikas Bank” existing on the date of commencement of the Uttar Pradesh Sahakari Krishi Evam Gramya Vikas Banks (Amendment) Act, 1994 shall be changed respectively as the “Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank”, and “Gram Vikas Bank” by the Registrar by order in writing and the original certificate and bye-laws of such bank shall stand amended accordingly and such change of name, made under order of the Registrar, be deemed to be a change of name duly effected by the society under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

1.Subs. by section 13 of U.P. Act No.
16 of 1989.

2.Subs. by section 4 (b) of U.P. Act
No. 19 of 1994.

3.Subs. by section 4 (c) ibid.

4.Subs. by section 4 (d) ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964]

[Section 29-30]

(3) Where a mortgage is executed by a person directly in favour or the Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank, all references to Gram Vikas Bank in sections 14, 20, 22, 23, 26 and 27 shall be deemed to be references to the Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank.]³

Power of the 29.
not Board to make
[Uttar regulations
following

The Board may, subject to the approval of the Trustee, make regulations inconsistent with the provision of this Act, the rules and the bye-laws of Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]², providing for all or any of the matters:-

(a) fixing the period of debentures and the rate of interest payable thereon;

(b) calling in debentures after giving notices to debenture- holders;

(c) issue of new debentures in place of debentures damaged or destroyed;

(d) converting one class of debentures into another bearing a different rate of interest;

(e) inspection of the account books and proceedings of [Krishi Evam Grmya Vikas Bank]²;

(f) submission of return and reports by [Krishi Evam Grmya Vikas Bank]² in respect of their transactions ;

(g) periodical settlement of accounts between [Krishi Evam Grmya Vikas Bank]² banks and the [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]², and for the payment of the amounts recovered by the

[Krishi Evam Grmya Vikas Bank]² on mortgages transferred or deemed under section 12 to have been transferred to the [Rajya Krishi Evam Grmya Vikas Bank]²;

(h) specifying the form in which application to [Krishi Evam Grmya Vikas Bank]² or to the [Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank]² for loans should be made and the procedure to be followed in the advancement of such loan;

(i) Valuation of the proportion offered as security for loans

(j) investment of moneys realized from mortgagors; and

(k) generally for any other matter in respect of which the Board considers the provisions should be made for the purposes of this Act :

Provided that the regulations framed under clause (i) shall be subject to the approval of the State Government.

Power of state
rules Government to
make rules

30. (1) The State Government may, after publication in the Gazette, make generally for carrying out the purposes of this Act, [including any rules prescribing fees in respect of any proceedings under this Act.]¹

1. Added by section 10 of U.P. Act No. 3 of 1979.

2. Subs. by section 4 (d) of U.P. Act No. 19 of 1994.

3. Added by section 5 ibid.

[The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Act, 1964] [Section 31-32]

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power under sub-section (1) the State Government may make rules providing for all or any of the following matters-

(a) the procedure for the distraint and sale of produce of land mortgaged to a [Gram Vikas Bank]²;

(b) the procedure for sale of property mortgaged to a [Krishi Evam Grmya Vikas Bank]²;

(c) fixing the percentage under clause (c) if sub-section (3). of section 6 for determining the limit of the debentures issued by the Board ;

(d) laying conditions under which the maximum amount of guarantee given by State Government under sub-section (1) of section 8 may be increased, withdrawn, restricted or modified;

(e) any other matter which has to be, or may be, prescribed (3) All rules made under this section shall, as soon as may be, after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of not less than 14 days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed,' take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as, the two Houses of the Legislature may agree to make, so however that such, modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Trustee and
others to be
public servant
Act XLV of

31. The Trustee, the Registrar, any person authorized by the Registrar to distraint and sell property under sub-section (2) of section 15 or a Receiver appointed under section 21 shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Public servants 32. No public servant referred to in section 31 shall purchase or bid for any
not to bid at movable or immovable property sold under the provisions of this, Act.
sale

